

pan>

Title: Introduction of the Farmers of Arid and Desert Areas (Welfare and Other Special Provisions) Bill, 2016.

श्री गोपाल श्रेष्ठ (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्राकृतिक आपदाओं से अक्सर प्रभावित होने वाले शुष्क, मरुस्थलीय और सूखा प्रवण क्षेत्रों के किसानों को ऋणग्रस्तता, बीमारी और शारीरिक दुर्बलता से ग्रस्त रहते हैं, साइकल और अन्यो के शोषण का शिकार हो जाते हैं, कल्याणकारी उपाय जैसे किसानों को ऋणग्रस्तता से मुक्ति दिलाने, उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने, बैंकों से सुलभ ऋण दिलाने, पानी का कम खपत करने वाली फसलों की वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती के तरीकों में सुधार लाने और फसल और पशुधन के अनिवार्य बीमा और सुरक्षात्मक उपायों और विशेष सुविधाओं तथा तत्संगत या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protective measures and special facilities for the farmers of arid, desert and drought prone areas, who are often affected by natural calamities and vulnerable to indebtedness, diseases and physical infirmities, exploitation by moneylenders and others, by extending welfare measures such as removal of indebtedness among farmers, giving remunerative prices for their agricultural produce, providing hassle free bank loans, improving farming practices through scientific means to grow less water consuming crops and for compulsory crop and livestock insurance and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री गोपाल श्रेष्ठ : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।